न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 01/2023 (जीसीएमएस न0 2023/3)

उनवानी प्रकरण :–

1–पूरनदेई पत्नी मूंगाराम । समस्त जातिगण मल्लाह(निषाद) निवासी शंकरपुरा
2–मूंगाराम पुत्र ल्होरे । तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

----------प्रार्थीगण

बनाम

1–बिध्यादेवी पुत्री नारायनसिंह पत्नी अजमेरसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम पैंकरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2–अनारदेई पुत्री नारायनसिंह पत्नी फूलसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम सामों तहसील सदर जिला आगरा उ0प्र0
3–रेबती पुत्री नारायनसिंह पत्नी नामालूम जाति लोधा निवासी ग्राम सामों तहसील सदर जिला आगरा उ0प्र0 ----------अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :–
प्रार्थी की ओर से :– श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट
अप्रार्थीगण की ओर से :– श्री गोविन्द सिंह परमार एडवोकेट

निर्णय **दिनांक** :–18-10.2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1181 रकवा 01 बीघा 10 विस्वा ग्राम निधेराखुर्द तहसील सैपऊ इस प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त है। दिनांक 11.02.1976 को अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष नारायन पुत्र बलवन्त जाति लोधा निवासी निधेराखुर्द के लिये भूमि का एक आवंटन किया गया यह आवंटन मिस रिप्रजेन्टेशन एवं फ्रोड से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर कराया गया है जिसके विरूद्व यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष का निधन करीब 40 वर्ष पूर्व हो चुका है नारायनसिह की कोई पुत्र संन्तान नहीं है मात्र अप्रार्थीगण है जो अपनी ससुराल में निवासी करती है। विवादग्रस्त खसरा

नम्बर में ना तो कभी नारायनसिंह ने काश्त किया और ना ही अप्रार्थीगण ने काश्त की। दिनांक 07.06.2002 तक आराजी सिवायचक दर्ज रही। आवंटी के नाम गैरखातेदारी का इन्द्रांज नहीं हुआ और ना ही आवंटी को मौके पर दखल दिया गया। करीब 40 वर्ष से प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहें है। दिनांक 07.06.2002 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रार्थीगण के नाम विवादग्रस्त भूमि के आवटंन के लिये सर्वसम्मति से शिफारिस की शिफारिस से सहमत होकर उपखण्डाधिकारी ने विवादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण को दिनांक 07.06.2002 को आवंटन कर दिया जिसका गैरखातेदारी का नामान्तकरण संख्या 1011 दिनांक 07.06.2002 को खोला गया एवं दखल दिया गया। इसप्रकार प्रार्थीगण बिना किसी विवाद के विवादग्रस्त आराजी पर फसल करते चले आ रहें है। अब प्रार्थीगण अपने नाम हुई भूमि का गैरखातेदारी से खातेदारी कराने के लिये तहसील सैपऊ में मिला तो वहॉ प्रार्थीगण से यह कह दिया कि इस भूमि का आवटंन आपसे पहले नारायनसिंह के नाम हो चुका है इसलिये आपके नाम खातेदारी नहीं हो सकती है। प्रार्थीगण को उपरोक्त आवंटन की कोई जानकारी नहीं थी। अब गिरदावर द्वारा प्रार्थीगण के नाम गैरखातेदारी से खातेदारी करने से मना करने पर. एवं दिनांक 11.2.1976 के आवंटन की जानकारी देने पर प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड का पता किया तब उपरोक्त समस्त जानकारी हुई। जानकारी होने पर काफी समय तक तहसील एवं कायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ में खातेदारी के लिये चक्कर लगाते रहे। पटवारी हल्का यह कहती रहीं कि तुम्हारी खातेदारी हो जायेगी लेकिन अब दिनांक 28.12.2022 को पटवारी हल्का ने मना कर दिया और यह कह दिया पहले नारायनसिंह के आवंटन को निरस्त कराओ तभी खातेदारी हो सकेगी तब प्रार्थीगण बिना देरी के यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहें है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आवंटन दिनांक 11.02.1976 वाके ग्राम निधेराखुर्द्व तहसील सैपऊ बहक नारायनसिंह पुत्र बलबन्त जाति लोधा निवासी निधेराखुर्द्व तहसील सैपऊ निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति नियमन दिनांक 11.02.1976 बहक नारायनसिंह पुत्र बलबन्त, फोटोप्रति आवंटन दिनांक 07.06.2002 बहक पूरनदेई, आवटंन आवेदन प्रार्थना पत्र मय पटवारी हल्का रिपोर्ट, फोटोप्रति नामान्तकरण संख्या 1101 गैरखातेदारी मूंगाराम व पूरनदेई, फोटोप्रति खसरा गिरदावरी, फोटोप्रति नक्शा अक्स पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उनको इस नोटिस के सम्बन्ध में कोई उज्रदारी हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण की ओर से श्री गोविन्दसिंह परमार एडवोकेट ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा पेश किया परन्तु अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। उक्त प्रकरण में विवादित आराजी पर कब्जा काश्त की रिपोर्ट

तहसीलदार सैपऊ से तलब की गई। तहसीलदार सैपऊ ने अपने पत्र कमांक राजस्व/2024/402 दिनांक 03.09.2024 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताविक जॉच रिपोर्ट पटवारी हल्का खसरा नम्बर 1181 रकवा 01 बीघा 10 विस्वा वांके ग्राम निधेराखुर्द्व में पूरनदेई पत्नी मूंगाराम हिस्सा 1/2 व मूंगाराम पुत्र ल्हौरे हिस्सा 1/2 जाति मल्लाह(निषाद) निवासी शंकरपुरा गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर पूरनदेई पत्नी मूंगाराम व मूंगाराम पुत्र ल्हौरे का लगभग 40 वर्ष से कब्जा है एवं पूरनदेई व मूंगाराम उक्त खसरा नम्बर पर काश्त कर रहे है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने प्रकरण में ना तो कोई जबाव पेश किया और ना ही वह बहस के दौरान उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी दिनांक 11.02.1976 को अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष नारायन पुत्र बलवन्त को आवंटन किया गया। यह आवंटन मिस रिप्रजेन्टेशन एवं फ्रोड से कराया गया है जिसके विरूद्व यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण के पूर्व पुरुष का निधन करीब 40 वर्ष पूर्व हो चुका है नारायनसिह की कोई पुत्र संन्तान नहीं है मात्र अप्रार्थीगण है जो अपनी ससुराल में निवासी करती है। विवादित आराजी को ना तो कभी नारायनसिंह ने काश्त किया और ना ही अप्रार्थीगण ने काश्त की। दिनांक 07.06.2002 तक आराजी सिवायचक दर्ज रही। आवंटी के नाम गैरखातेदारी का इन्द्रांज नहीं हुआ और ना ही आवंटी को मौके पर दखल दिया गया। करीब 40 वर्ष से प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहें है। दिनांक 07.06.2002 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उपखण्डाधिकारी धौलपुर ने विवादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण को दिनांक 07.06.2002 को आवंटन कर दिया जिसका गैरखातेदारी का नामान्तकरण संख्या 1011 दिनांक 07.06.2002 को खोला गया एवं दखल दिया गया। इसप्रकार प्रार्थीगण बिना किसी विवाद के विवादग्रस्त आराजी पर फसल करते चले आ रहें है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर पूर्व आवटंन दिनांक 11.02.1976 बहक नारायनसिंह निरस्त फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1181 रकवा 01 बीघा 10 विस्वा वांके ग्राम निधेराखुर्द्व का दिनांक 11.02.1976 को अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष नारायन पुत्र बलवन्त को आवंटन किया गया जिसके विरूद्व यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि उक्त आवंटी के नाम गैरखातेदारी का इन्द्रांज नहीं हुआ और ना ही आवंटी को मौके पर दखल दिया गया। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष का निधन करीब 40 वर्ष पूर्व हो चुका है

नारायनसिह की कोई पुत्र संन्तान नहीं है मात्र अप्रार्थीगण है जो अपनी ससुराल में निवासी करती है। विवादित आराजी को ना तो कभी नारायनसिंह ने काश्त किया और ना ही अप्रार्थीगण ने काश्त की। दिनांक 07.06.2002 तक आराजी सिवायचक दर्ज रही। दिनांक 07.06.2002 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उपखण्डाधिकारी धौलपुर ने विवादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण पूरनदेई व मूंगाराम को दिनांक 07.06.2002 को आवंटन कर दिया जिसका गैरखातेदारी का नामान्तकरण संख्या 1011 दिनांक 07.06.2002 को खोला गया एवं दखल दिया गया। करीब 40 वर्ष से प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहें है। तहसीलदार सैपऊ ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.09.2024 में यह अंकित किया है कि विवादित आराजी में पूरनदेई पत्नी मूंगाराम हिस्सा 1/2 व मूंगाराम पुत्र ल्हौरे हिस्सा 1/2 जाति मल्लाह(निषाद) निवासी शंकरपुरा गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर पूरनदेई पत्नी मूंगाराम व मूंगाराम पुत्र ल्हौरे का लगभग 40 वर्ष से कब्जा है एवं पूरनदेई व मूंगाराम उक्त खसरा नम्बर पर काश्त कर रहे है। इस प्रकार तहसीलदार सैपऊ की उक्त रिपोर्ट से प्रार्थीगण के कथनों की पुष्ठि होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में विवादग्रस्त आराजी पर हुआ आवंटन दिनांक 11.02.1976 वांके ग्राम निधेराखुर्द्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर वहक नारायनसिंह पुत्र बलबन्त जाति लोधा निवासी निधेराखुर्द्द तहसील सैपऊ निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)